



प्रेस नोट

जनपद हमीरपुर

दिनांक 27.04.2024

अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना कोतवाली नगर, कुरारा, कोतवाली राठ, मझगवाँ, जलालपुर से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित/जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अपराधीगण का विवरण:-

क्र0 सं0	थाना	गुण्डा अपराधी का नाम	जिलाबदर का दिनांक	अवधि
1.	कोतवाली नगर	रोहित निषाद पुत्र रामआसरे निवासी मु0 डिग्गी रमेडी कस्बा व थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर	18.04.2024	06 माह
2.	कोतवाली नगर	आसिफ खान उर्फ आमू पुत्र श्री अयूब खान निवासी मु0 खालेपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर	18.04.2024	06 माह
3.	कुरारा	अजयराज सिंह उर्फ नातीराज पुत्र पवन सिंह निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर	19.04.2024	06 माह
4.	कोतवाली राठ	शिशुपाल यादव उर्फ गिल्ला यादव पुत्र श्री हरी सिंह यादव निवासी मु0 लुधियातपुरा कस्बा व थाना कोतवाली राठ जनपद हमीरपुर	10.04.2024	06 माह
5.	कोतवाली राठ	राजेन्द्र यादव पुत्र श्री रामकृपाल निवासी मु0 पठानपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर	10.04.2024	06 माह
6.	मझगवाँ	राकी राजपूत उर्फ रकी पुत्र नितबरन राजपूत निवासी ग्राम नौरंगा थाना मझगवाँ जनपद हमीरपुर	18.04.2024	06 माह
7.	मझगवाँ	राम सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम जराखर थाना मझगवाँ जनपद हमीरपुर	20.04.2024	06 माह
8.	जलालपुर	सीताराम पुत्र राम सिंह उर्फ भगवन सिंह निवासी ग्राम पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर	19.04.2024	06 माह